बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/वि०3–17/2015 321 पटना, दिनांकः 23/09/22

कार्यालय आदेश

श्री अशोक रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुर्था, अरवल संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बरहट प्रखंड, जमुई के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक–192/आ० दिनांक–20.04.2015 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–118 सहपठित ज्ञापांक–722 दिनांक–15.06.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), अरवल को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अरवल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री अशोक रजक के विरूद्ध आरोप पत्र में निम्न आरोप गठित किये गये :–

" आपके द्वारा धान अधिप्राप्ति वर्ष 2011–12 में 16486.07 क्विंटल धान राज्य खाद्य निगम के पक्ष में क्रय किया गया था परन्तु आपके द्वारा धान निर्गत के समय उक्त वर्ष 16215.00 क्विंटल धान ही मिलरों को दिया गया। आपके प्रभार में निगम का कुल 271.07 क्विंटल धान रह गया है जिसका मूल्य 1127.98 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 305762.00 रूपये होता है । गेहूँ अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 में 4734.00 क्विंटल गेहूँ राज्य खाद्य निगम के पक्ष में क्रय किया गया था। परन्तु आपके द्वारा गेहूँ निर्गत के समय उक्त वर्ष 4508.54 क्विंटल गेहूँ ही भारतीय खाद्य निगम एवं नीलामी प्राप्त करने वाले को उपलब्ध कराया गया । आपके प्रभार में निगम का कुल 225.46 क्विंटल गेहूँ रह गया है जिसका मूल्य 1426.04 रूपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 321515.00 रूपये होता है। आपके द्वारा कुल 6,27,277.00 रूपये का गबन किया गया, इसके विरूद्ध इनके द्वारा 1,70,000.00 रूपये राज्य खाद्य निगम के खाता सं०– 0228002100013889 (पेन स्लिप नं०–20 दिनांक–24.7.2013) में जमा किया गया है। क्रय केन्द्र के निरीक्षण के क्रम में अवशेष धान एवं गेहूँ गोदाम में उपलब्ध नहीं पाया गया था । इस प्रकार से यह गबन का मामला बनता है।

अतः श्री अशोक रजक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुर्था के विरूद्ध कुल 4,57,277.00 रूपये की सरकारी राशि के गबन करने का आरोप बनता है।"

3. समाहर्त्ता, अरवल के पत्रांक–696/रा० दिनांक–08.12.2020 के साथ संलग्न संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता (लो०शि०)–सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अवरल के पत्रांक–69/जि०लो०शि०, दिनांक–18.08.2020 द्वारा श्री अशोक रजक के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में निम्न मंतव्य दिया गया है :–

" वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में आरोपी कर्मी श्री अशोक रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, प्रखंड– कुर्था, अरवल को धान अधिप्राप्ति केन्द्र, कुर्था का धान क्रय केन्द्र प्रभारी के पद पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था। श्री अशोक रजक द्वारा किसानों से क्रय किये गये धान/गेहूँ की मात्रा के समतुल्य धान/गेहूँ भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध नहीं कराया गया । आरोपी कर्मी का कथन है कि धान/गेहूँ अधिप्राप्ति कर ओपेन स्टोरेज कुर्था प्रखंड कार्यालय परिसर के मैदान में रखा गया था, जिस कारण अनाज के सड़ने एवं जानवरों के खाने से अनाज की मात्रा में ह्रास हुआ। आरोपी कर्मी द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु उनके द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद को सूचना दी गयी थी, लेकिन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। आरोपी कर्मी द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद से किये गये पत्राचार का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में किसानों से क्रय किये गये धान/ गेहूँ को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना उनका कर्त्तव्य था, जिसमें वे विफल रहे।

आरोपी कर्मी का यह भी कहना है कि गबन की अधिरोपित राशि के समतुल्य मो० 6,27,277.00 (छः लाख सताईस हजार दो सौ सतहत्तर) रूपया सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है । आरोपी कर्मी द्वारा राशि जमा कर देने से गबन के आरोप की गंभीरता कम नहीं हो जाती है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचनोपरान्त स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी द्वारा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे प्रमाणित होता हो कि उनके द्वारा धान/गेहूँ क्रय करने में अनियमितता नहीं बरती गयी हो। इस प्रकार श्री रजक के विरूद्ध अधिरोपित गबन का मामला प्रमाणिक प्रतीत होता है ।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणिक प्रतीत होता है, का संचालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) में किये गये प्रावधान के तहत श्री अशोक रजक से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने समर्पित अभ्यावेदन में श्री अशोक रजक ने निम्न तथ्यों को उल्लेख किया है :–

धान गबन के संबंध में श्री अशोक रजक का कहना है कि धान अधिप्राप्ति कर ओपेन स्टोरेज कुर्था कार्यालय परिसर के मैदान में रखा गया। उनके द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद को ओपेन स्टोरेज में धान रखने पर धान सड़ने एवं जानवर के खाने का डर बने होने की मौखिक सूचना दी गयी, परन्तु उनकी बातों की अनसुनी कर दबाव बनाया गया कि आपको मैदान में स्टोरेज करना है ।

गेहूँ खरीद कर स्टोर में रखा गया था। गेहूँ भंडारण हेतु गेहूँ को सुरक्षित रखने के लिए राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद से दवा की मांग की गयी, परन्तु जिला प्रबंधक द्वारा उनकी एक भी नहीं सुनी गयी और नतीजा हुआ कि गेहूँ को कीड़ा द्वारा नष्ट कर दिया गया। उक्त गेहूँ की नीलामी की गयी जिसमें 225.46 क्विंटल गेहूँ का नुकसान हुआ तथा धान अधिप्राप्ति में 271.07 क्विंटल नुकसान हुआ जिसकी

राशि क्रमशः 3,21,515.00 रूपये तथा 3,05,762.00 रूपये जिसका कुल राशि 6,27,277.00 (छः लाख सताईस हजार दो सौ सतहत्तर) रूपये गबन का आरोप लगाया गया है।

उनके द्वारा गबन नहीं किया गया है, फिर भी संबंधित विभाग के खाता संख्या–0228002100013889 (पेन स्लीप नं०–20 दिनांक–24.07.2013) द्वारा मो०1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार) रूपये जमा किया गया ताकि उनके नौकरी पर किसी तरह का आरोप न लगे। बाद में पुनः चेक संख्या– 843780 दिनांक–17.11.2017 द्वारा 2,50,000/–(दो लाख पचास हजार) तथा चेक संख्या–843781 दिनांक–20.11.2017 द्वारा 2,08,000/–(दो लाख आठ हजार) रूपये कुल 4,58,000/–(चार लाख अंठावन हजार रूपये) की राशि उनके द्वारा जमा की गयी। इस प्रकार कुल राशि 6,27,277.00 (छः लाख सताईस हजार दो सौ सतहत्तर) रूपये जमा कर दिया गया है।

5. श्री अशोक रजक द्वारा अपने अभ्यावेदन में दिये गये तथ्य के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–822 दिनांक–29.07.2021 द्वारा श्री अशोक रजक द्वारा धान एवं गेहूँ के गबन की राशि जमा करने संबंधी प्रतिवेदन की मांग जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अरवल से की गयी । निदेशालय द्वारा अनेकों बार स्मारित किये जाने के बाद जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, अरवल के पत्रांक–772 दिनांक–18.08.2022 द्वारा श्री अशोक रजक द्वारा निगम के खाता में राशि जमा करने संबंधी निम्न प्रतिवेदन भेजा गया है :–

क्र.	जमा की गयी राशि	जमा करने की तिथि	जमा करने का माध्यम	निगम के किस खाता में राशि जमा की गयी है
1.	1,70000/– (एक लाख सत्तर हजार)	24.07.2013	नगद भुगतान	पंजाब नेशनल बैंक , 0228002100013889
2.	2,50,000/– (दो लाख पचास हजार)	20.12.2017	चेक सं०–843780, दिनांक–17.11.2017	इंडियन बैंक 6265442003
3.	2,08,000/– (दो लाख आठ हजार)	20.12.2017	चेक सं०–843781, दिनांक–20.11.2017	इंडियन बैंक 6265442003

6. श्री अशोक रजक द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रायः उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को दिये गये अभ्यावेदन में किया गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री अशोक रजक द्वारा धान एवं गेहूँ के गबन संबंधी राशि कुल 6,28,000/– (छः लाख अठाईस हजार) रूपये राज्य खाद्य निगम, अरवल के कार्यालय/खाता में जमा कर दी गई है, लेकिन इनके द्वारा अपने कार्य में लापरबाही बरती गयी है जिससे धान एवं गेहूँ का क्षति/गबन हुआ।

7. अतएव संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अशोक रजक पर निन्दन का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः श्री अशोक रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुर्था, अरवल संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बरहट प्रखंड, जमुई पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –14(i) में किये गये प्रावधान के तहत लघु शास्ति के रूप में निन्दन का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(संजय कुमार पंसारी)

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/वि०3–17/2015 1689 /पटना, दिनांक :– 23/09/22

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, अरवल/जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल/जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अरवल/जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरहट प्रखंड, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अशोक रजक, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कुर्था, अरवल संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बरहट प्रखंड, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

6

23/9/22

निदेशक